न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 43/2013 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
2. तहसीलदार राज़गढ़ ।

..... प्रतिवादी / अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति ब्राह्मण निवासी तालाब तहसील राजगढ़ ।
2. श्रीराम पुत्र लक्ष्मण जाति ब्राह्मण निवासी तालाब तहसील राजगढ़ ।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मण जाति ब्राह्मण निवासी तालाब तहसील राजगढ।

..... वादी/ रेस्पो0

4. मु0 भौरीदेवी बेवा गोविन्द सहाय जाति ब्राह्मण निवासी हाल ककराली रामपुरा ग्राम पंचायत तिलवाड़ तहसील राजगढ़ ।

   4/1. नानगराम पुत्र गोविन्द सहाय पुत्र स्व0 भौंरी केयर ऑफ श्री प्रभूदयाल शर्मा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत तिलवाड तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।
5. भगवान सहाय पुत्र लक्ष्मण जाति ब्राह्मण निवासी तालाब तहसील राजगढ – मृतक

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दिनांक 8.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का प्रस्तुत किया कि गत आराजी ख0 नं0 308 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा तथा ख0 नं0 138 रकबा 2 बीघा मिन वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ़ वर्ष 1967 में वादीगण के व तर0 प्रतिवादीगण के पिता लक्ष्मण को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई थी और आवंटन के बाद से ही लक्ष्मण के पुत्रान वादीगण व

तर0 प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं और कागजात माल में उक्त आराजी गैर खातेदारी में भी दर्ज हो चुकी है ।

राजगढ़ उपखण्ड में बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में हुआ और बन्दोबस्त कर्मचारियों ने गत आराजी ख0 नं0 308 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के नये ख0 नं0 1153, 1154, 1155, 1162, 1163, 1164, 1169 व 1170 कायम किये हैं तथा गत आराजी ख0 नं0 138 मिन का सम्पूर्ण रकबा तथा ख0 नं0 308 का 10 ऐयर रकबा मिलाकर ख0 नं0 1069 कायम किये हैं और उक्त आराजी में से वादीगण को मात्र 1169, 1170 पर तो गैर खातेदारी दर्ज कर दी परन्तु शेष नम्बरान को सिवायचक गै0मु0 पहाड़ दर्ज कर दिया है जो कि खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है । गत ख0 नं0 308 मिन व 138 पर वादीगण के पिता को सैटलमेन्ट से पूर्व गेर खातेदार दर्ज कर दिया गया था और लक्ष्मण व उसके पुत्रान उक्त आराजीयात का 1967 से ही लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं तो फिर सम्वत् 2046 में बन्दोबस्त कर्मचारियों को उक्त आरजी और उसके नये खसरा नम्बर 1153, 1154, 1155, 1162, 1163, 1164, 1069 के 60 ऐयर रकबे पर वादीगण को व तर0 प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज करना चाहिए था लेकिन बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में खसरा सं0 हाल को जो सिवायचक दर्ज किया है तथा पूर्व अनुसार वादीगण का इन्द्राज खातेदारी या गैर खातेदारी दर्ज नहीं किया है काबिल स्वीकार योग्य नहीं है तथ उक्त इन्द्राज काबिल दुरूस्ती योग्य है । उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध कार्यवाही करते हैं तथा उसे कार्य काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा करते हैं जो काबिल स्वीकार योग्य नहीं है । अतः वाद वादीगण स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 08.11.2012 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय दि0 08.11.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय में वादीगण/असल रेस्पो0 ने एक दावा आराजी ख0 नं0 गत 308 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा का पेश किया था । विवादित आराजी वक्त आवंटन जमीन गै0मु0 पहाड़ थी । सम्वत् 2028 में ख0 नं0 138 व 308 गै0मु0 पहाड़ दर्ज रेकार्ड है । तहत न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संलग्न की हुई हैं । बन्दोबस्त ने विवादित आराजी को गै0मु0 पहाड़ व राड़ा के आधार पर सिवायचक सही दर्ज किया है । आवंटन आदेश की प्रति नहीं है तथा न ही घटना बही का रेकार्ड है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा मुताबिक मौका सही इन्द्राज दर्ज किया गया है । वादी/रेस्पो0 किसी प्रकार की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा गैर मुमकिन पहाड़ का आवंटन जो विधि विरूद्ध है, उस पर मियाद का बिन्दू काबिल स्वीकार योग्य है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

26/7

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय के निर्णय की अपील के संबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत डिले कन्डोन करने का निवेदन किया है । राजकीय कार्य की वजह से अपील देरीना पेश की है । चूंकि डिक्री गलत जारी की है । अतः गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम भी स्वीकार योग्य है और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी दि0 22.9.1967 को ख0 नं0 138 रकबा 2 बीघा व 308 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा हमारे पिता लक्ष्मण पुत्र भूरजी को आवंटन हुए थे जिसका इन्तकाल सं0 351 गैर खातेदारी का दर्ज हुआ । जमाबन्दी सम्वत् 2036 में राड़ा 5 बीघा 9 बिस्वा तथा 2 बीघा पहाड़ किस्म दर्ज है । जमाबन्दी सम्वत् 2046–65 में ख0 नं0 1170 व 1169 पर तो गेर खातेदार दर्ज कर दिया तथा बाकी नम्बरों को सिवायचक दर्ज कर दिया । बन्दोबस्त विभाग को इन इन्द्राजों को बदलने का कोई अधिकार नहीं था । अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । अपील के साथ शपथपत्र भी तस्दीक नहीं करवाया गया है जबकि रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के अनुसार शपथपत्र तस्दीकशुदा होना चाहिए था ।

उन्होंने आगे बताया कि अपील के निर्णय से पूर्व मियाद के बिन्दु का निर्णय होना चाहिए । दफा 5 में कोई उपयुक्त कारण दर्ज नहीं किये गये हैं । अतः जहां उपयुक्त कारण दर्ज नहीं हो वहां मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए । यहां सरकार अपील में आयी है । न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को विलम्ब का फायदा नहीं दिया जा सकता है जबकि इनकी ड्यूटी है कि समय पर जागरूक रहकर अपील करनी चाहिए थी ।

उन्होंने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि तहत न्यायालय ने सभी बिन्दुओं का सही निर्णय किया है तथा साथ में मिलान क्षेत्रफल भी पेश किया है । मेरे दो नम्बर तो गैर खातेदारी में दर्ज हो गये और शेष नम्बर छोड़ दिये हैं । राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 में प्रतिबंधित जमीन आवंटित नहीं हो सकती है, परन्तु यह बन्दोबस्त ने अंकित की है जो स्वीकार्य नहीं है।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.सी. 1998 पेज 224, 349, आर.बी.जे. 2001 पेज 170, आर.आर.टी.2009 पेज 143, आर.बी.जे. 2003 पेज 290, आर.आर.टी.2015 पेज 168, आर. आर.टी. 2011 पेज 421, आर.आर.टी. 2010 पेज 801, आर.आर.टी. 2015 पेज 232, आर.एल. आर. 1996 पेज 714, आर.आर.डी. 1999 पेज 152, आर.आर.टी. 2009 नपेज 428 व आर.आर. टी. 2013 पेज 827 पेश की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं तहत पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । उपलब्ध रेकार्ड का भी अवलोकन किया । बहस पर मनन किया तथा कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

वादी/रेस्पो0 के वाद का मुख्य आधार यह है कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 308 रकबा 5.09 बीघा व साबिक ख0 नं0 138 रकबा 2 बीघा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी

के पिता लक्ष्मण को आवंटन हुई थी तथा इन्तकाल सं0 351 के आधार पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया ।

बन्दोबस्त सम्वत् 2046 ने उक्त गैर खातेदारी की आवंटितशुदा आराजी को पुनः सिवायचक गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज कर दिया । बन्दोबस्त विभाग का यह कार्य नियम विरूद्ध था क्योंकि बन्दोबस्त विभाग को किसी प्रकार से पूर्व इन्द्राजों को बिना आदेश के बदलने का कोई अधिकार नहीं है । इस संबंध में कानूनी नजीरों का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट अभिभाषक का मुख्य बिन्दू अपील का यह है कि विवादित आराजी रेकार्ड में गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है तथा इसमें किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। खातेदारी प्रदान करना तहत अदालत का आदेश विधि विरूद्ध है । गैर मुमकिन पहाड़ में काश्त नहीं होती है । अतः खातेदारी भी नहीं दी जा सकती है । अतः अपील स्वीकार करनें का निवेदन किया ।

हमने निर्णय एवं अपील के परिप्रेक्ष्य में रेकार्ड का अवलोकन किया । मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046–65 के अनुसार साबिक ख0 नं0 308 रकबा 5.09 बीघा के हाल ख0 नं0 1153 रकबा 0.35, 1154 रकबा 0.08, 1155 रकबा 0.04, 1162 रकबा 0.18, 1163 रकबा 0.08, 1164 रकबा 0.07, 1169 रकबा 0.20 व 1170 रकबा 0.27 है0 कायम किये गये हैं । नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037 का अवलोकन किया गया जिसमें खाता सं0 552 में कॉलम सं0 4 में खातेदार के विवरण में लाल स्याही से "लक्ष्मण पुत्र भूरजी ब्राह्मण सा0देह गैर खातेदार 22.09.1967" का अंकन है तथा साबिक ख0 नं0 138 मिन रकबा 2 बीघा रकबा बारानी दोयम तथा गैर मुमकिन पहाड़ किस्म अंकित है तथा साबिक ख0 नं0 308 मिन रकबा 5.09 बीघा में किस्म बारानी दोयम तथा गैर मुमकिन राड़ा दर्ज है ।

इस प्रकार से यह तो स्पष्ट है कि बन्दोबस्त से पूर्व साबिक ख0 नं0 308 मिन रकबा 5.09 बीघा तथा साबिक ख0 नं0 138 मिन रकबा 2 बीघा के गैर खातेदार के रूप में लक्ष्मण पुत्र भूरजी ब्राह्मण सा0देह दर्ज रेकार्ड है । बन्दोबस्त ने सम्वत् 2046 में उक्त साबिक ख0 नं0 308 मिन के नये नम्बर 1153, 1154, 1155, 1162, 1163, 1164, 1169 एवं 1170 कायम किये हैं । साबिक ख0 नं0 138 मिन रकबा 1036 बीघा में से 31.81 रकबा हाल ख0 नं0 1069 में शामिल किया गया है । बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2046–65 में हाल ख0 नं0 1153, 1154, 1155, 1162, 1163, 1164 सिवायचक लगानी के रूप में दर्ज रेकार्ड है । ख0 नं0 1169 रकबा 0.20 है0 व ख0 नं0 1170 रकबा 0.27 है0 के खाता सं0 516 में गोविन्द सहाय, श्रीराम, रामकिशन, भगवान सहाय, जगदीश पि0 लक्ष्मण जाति ब्राह्मण सा0देह गैर खातेदार अलोटी 22.09.1967 अंकित है ।

इस प्रकार से रेकार्ड से तो यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग में विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 308 व 138 के गैर खातेदारी के इन्द्राजों को बदलकर सिवायचक दर्ज रेकार्ड कर दिया है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा इस प्रकार से किसी भी प्रकार के पूर्ववत् इन्द्राजों को बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ।

इस संबंध में कानूनी नजीर रेस्पो0 अभिभाषक की इस अपील पर चस्पा होती है ।

जहां तक अपीलांट अभिभाषक का यह कथन कि गैर खातेदारी के इन्द्राज कैसे आये । आवंटन आदेश की प्रति रेकार्ड में पेश नहीं है । नामान्तकरण की प्रति पेश नहीं है, दखलनामा की प्रति पेश नहीं है । यह बिन्दू तब स्वीकार्य है जब गैर खातेदारी से खातेदारी

का उज्र लिया हो । यहां पर वादी/रेस्पो0 ने केवल बन्दोबस्त के इन्द्राजों को मुख्य रूप से चैलेन्ज किया है । जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है । तहत न्यायालय ने वादीगण को जो खातेदारी दी है उसके स्थान पर गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश विधिसम्मत है क्योंकि वादी द्वारा खातेदारी अधिकार नियमानुसार आवेदन करने पर जांच उपरान्त प्राप्त हो सकेगें और ख0 नं0 1169 व 1170 में भी गैर खातेदार ही अंकन आया है ।

अतः तहत न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर पाया जाता है । केवल तहत न्यायालय के आदेश में खातेदारी के स्थान पर गैर खातेदारी अंकित कराने का संशोधन किया जाता है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय व डिक्री दि0 08.11.2012 मे इंस प्रकार संशोधन किया जाता है कि विवादित आराजी में खातेदारी के स्थान पर बन्दोबस्त से पूर्व के गैर खातेदारी इन्द्राज दर्ज किये जावें, शेष निर्णय यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर